

दिल्ली विधान सभा
समाचार भाग - 2

॥ विधाई तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥
सोमवार, 29 जनवरी, 1996/माघ 9, 1917 ॥शक॥

संख्या 238

सदस्यों को नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित
उपायुक्त पुलिस, नई दिल्ली से दिनांक 22.01.96 को निम्नलिखित
संसूचना दिनांक 24.01.96 को प्राप्त हुई :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली राष्ट्रीय
राजधानी राज्यदेह को विधान सभा के माननीय सदस्य
श्री अजय माकन को उनके अन्य समर्थकों सहित आज अर्थात्
दिनांक 22.01.96 को अपराहन 1.05 बजे पुलिस थाना
संसद मार्ग, नई दिल्ली से पुलिस के विधि सम्मत् निर्देशों
को अवज्ञा करने के कारण पुलिस अधिनियम, 1978 को
धारा 65 के अन्तर्गत नज़रबंद किया गया ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 22.01.96 को अपराहन
1.10 बजे पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली से रिहा
कर दिया गया ।"

पो. एन. गुप्ता
सचिव.

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART- II

(General information relating to Legislative & other matters)
Monday, January 29, 1996/ Magh 9, 1917 (Saka)

No. 238

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following wireless message dated 22.1.96 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi was received on 24.01.96 :-

"I have the honour to inform you that Shri Ajay Makhan, Hon'ble Member of the Legislative Assembly, Delhi alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from Parliament Street, in front of Police Station Parliament Street, New Delhi at 1305 hours today i.e. 22.1.96.

He was released at 1310 hours from Police Station Parliament Street, New Delhi, the same day i.e. 22.01.96."

P.N. GUPTA
SECRETARY